WESTERN UP CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JANUARY 2021

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; Fax: 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

May the New Year bring you new strength, new hope & new dreams.

Happy New Year 2021

WUPCCI

Patron
Dr. Mahendra Kumar Modi

President
Dr. Ram Kumar Gupta

Sr. Vice President
Shri Shashank Jain

Jr. Vice President
Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

Secretary
Ms. Sarita Agarwal

Patrika Committee
Chairman
Shri Rahul Das

Co-Chairman
Shri Sushil Jain

Members
Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
Shri Rakesh Kohli
Shri Trilok Anand
Shri Rajendra Singh
Shri G.C. Sharma
Shri Atul Bhushan Gupta

Editor
Ms. Sarita Agarwal

WUPCCI

INDEX

- The Government has via Notification no. 94/2020-Central tax dated 22nd December 2020 made the following changes in CGST Rules, 2017
- Government extends deadline for completing GST anti-profiteering probe till March 2021
- MSMEs likely to create five crore new jobs in next five years: Gadkari
- GSTN launches taxpayer communication facility on portal
- Government extends deadline for use of FASTag till February 15
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड "कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना"
- आत्मनिर्भर रोजगार योजना को मंजूरी, देश में 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा
- किसी भी स्थिति में नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी
- बुलंदशहर और खुर्जा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा यूपीसीडा
- सजा होने पर ही रोकी जा सकती है पेंशन और ग्रेच्युटी
- यूपी में लकड़ी आधारित 1215 उद्योगों के लाइसेंस रद्द
- 80 हजार लोगो को रोजगार मिलने का किया था दावा
- ज्यादा रिटर्न के लिए ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते है फंड
- रक्त सम्बन्धो में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट
- नीलामी में खरीदी औद्योगिक संपत्ति पर दोहरे स्टाम्प शुल्क में छूट
- बिना सरकारी अनुमति खरीदी जमीन नियमित करने के जुर्माने में बड़ी छूट
- ऑनलाइन न दी उद्योगों को अनुमति तो दंडित होंगे अफसर
- जर्मन कंपनी जांचेगी खेल उत्पाद
- उद्योगों को ओपन एक्सेस से बिजली प्राप्त करने की अब ऑनलाइन सुविधा
- ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी बिजली, तय समय पर सेवाएं
- शासनादेशों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य

The Government has via Notification no. 94/2020-Central tax dated 22nd December 2020 made the following changes in CGST Rules, 2017:

Restriction on use of amount available in Electronic Credit Ledger

New Rule 86B has been inserted which restricts use of credit available in Electronic Credit Ledger. The said rule restricts use of Input Tax Credit by more than 99% against output tax liability. This restriction is applicable for taxpayers whose taxable supply other than exempt supply and zero-rated supply exceeds Rs. 50 lakhs in a month.

Further, the said rule is not applicable in the following cases:-

a) The taxpayer (proprietor/ karta/ managing director/ partner/WTD Members of managing committee of Association/Board of Trustees) have paid income tax exceeding 1 lakh in each of the 2 preceding financial years or

b) Where taxpayers have received refund of unutilized input tax credit exceeding 1 lakh in the preceding financial year on account of exports or supplies to SEZ or

c) Where taxpayers have received refund of unutilized input tax credit exceeding 1 lakh in the preceding financial year on account of inverted duty structure or

d) The taxpayer has discharged his liability towards output tax through the Electronic Cash Ledger for an amount which is more than 1% of the total output liability, applied cumulatively, upto the said month in the current financial year or

e) The taxpayer is

-Government Department

-Public Sector Undertaking

-Local authority

-Statutory body

The Commissioner or any officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and safeguards as he may deem fit.

(Effective from 1st January 2021)

Further, restriction in availment of Input Tax Credit under Rule 36(4)

Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoice or debit notes, the details of which have not been furnished in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility **shall not exceed 5 per cent of the eligible credit** available in respect of invoices or debit notes the details of which have been furnished in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility. Earlier, this limit was **10%.**

(Effective from 1st January 2021)

Changes in GST Registration Procedure

Increase in time with respect to granting of GST Registration- Where a person applies for GST registration, the proper officer shall have **7 days' time** to either grant the registration in FORM GST REG-06 or issue a deficiency notice in FORM GST REG-03. Earlier this time limit was 3 days.

Biometric authentication for grant of GST registration– The authentication done until now while applying for GST registration was based on Aadhar number authentication. However, now the Individual/Karta/Managing Director /WTD /Partner /Members of managing committee of Association/Board of Trustees, Authorized Representatives or Authorized Signatory will have to get biometric based Aadhar authentication and photograph submitted.

In case a person wishes not to opt for Aadhar authentication, biometric information

WIRC

along with photograph and other KYC documents are to be submitted. Only upon verification of such documents, the registration would be granted.

These activities would have to be physically carried out at one of the Facilitation centers as notified by the Commissioner.

Physical verification for grant of GST Registration- Where a person has not opted for Aadhar authentication or fails to undergo Aadhar authentication or where the proper officer deems it fit there shall be physical verification of the place of business of the person applying for GST registration. In such a case where physical verification has been carried out, one of the following steps will be carried out:

a) registration shall be granted in FORM GST REG-06 (where documents are in order) or

b) deficiency memo shall be issued (where further documents or clarifications are required) in FORM GST REG-03

Deemed Approval –

a) If no physical verification was carried out:- In such a case if registration is not granted within 7 days of receipt of application which is complete in all aspects or within 7 days of receipt of clarification to FORM GST REG-03 in FORM GST REG-04, the application for registration shall be deemed to have been approved.

b) Where physical verification was carried out:- In such a case if registration is not granted or a deficiency memo is not issued within 30 days of receipt of application, the application for registration shall be deemed to have been approved.

WIRC

Cancellation of GST Registration

No opportunity of being heard - Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled, he may **without affording the said person a reasonable opportunity of being heard,** suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him.

Increase in reasons for cancellation of registration – Apart from the existing reasons, the government has allowed cancellation of registration in the following cases:

a) If a registered person avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or rules made thereunder or

b) If a registered person furnishes details of outward supplies in FORM GSTR-1 for one or more tax periods in excess of outward supplies declared in GSTR-3B

c) If a registered person violates provisions of newly inserted rule 86B (discussed above)

Suspension of Registration in special cases - Registration of a taxpayer can be suspended in the following cases:

a) where there is a significant difference or anomaly between outward supplies in GSTR 1 and GSTR 3B

b) where there is a significant difference or anomaly between GSTR2A and GSTR 3B

This should result in any contraventions to the provisions of the Act or the rules thereunder. Further to such suspension, an intimation shall be send to the taxpayer in his e-mail ID requiring him to explain within 30 days as to why his registration shall not be cancelled.

Restrictions in case of Suspension of GST registration- A registered person whose registration has been cancelled can neither make any taxable supplies nor shall be granted refund.

Removal of suspension before completion of proceeding- The proper officer shall now have the option to revoke the suspension of registration anytime during the pendency of proceedings for cancellation.

Restriction in filing of GST returns

a) For monthly filers- Such registered person shall not be allowed to file GSTR 1 in case he has not furnished his return in FORM GSTR 3B for the **preceding two months**.

b) For quarterly filers- Such registered person shall not be allowed to file GSTR-1 or use invoice furnishing facility in case he has not furnished return in FORM GSTR 3B for **preceding tax period**.

c) For monthly filers on whom there is a restriction on utilization of ITC- Such registered persons shall not be allowed to file GSTR-1 or use invoice furnishing facility in case he has not furnished return in FORM GSTR 3B for **preceding tax period**.

E-way Bill

Validity of E-way bill- Earlier the validity of the e-waybill was 1 day for each 100 Km. Now this limit has been changed to 200 Km. This effectively means that e-waybill would expire faster than the time prescribed earlier.

Restriction on generation of E-way bill

Where the GST registration of a taxable person has been suspended neither the taxpayer/recipient nor the transporter will be able to generate E-way bill.

WIRC

Provisions notified through Finance Act 2020

Various provisions of the Finance Act 2020 have been notified to be effective from 1st January 2021 which are as follows:

a. Time limit for taking ITC for debit notes have been provided upto September return of next financial year if the debit note pertains to the current financial year. Earlier the date of original invoice corresponding to such debit note was the relevant document based on which the time limitation for availing ITC had to be calculated.

b. Composition taxable person for services have been barred from making supplies not leviable to tax, making interstate supply of services and supplies through E-commerce operator required to collect TCS

c. The provisions of late fees for late issuance of TDS certificates have been dropped.

d. Effective from 1st January 2021, a person opting for voluntary registration can also opt for cancellation of registration if he longer requires the registration. He was barred from doing so earlier.

e. The period of revocation of cancellation of registration can be extended by further 30 days if allowed by the Additional Commissioner or Joint Commissioner. Also, the Commissioner has been empowered to grant a further extension of 30 days beyond the period allowed by the Joint/Additional Commissioner.

f. Apart from the taxpayers involved in fake invoicing, even the beneficiaries of such fake invoicing have been made liable to penalty.

g. Availment of input tax credit on the basis of invoice not accompanied by supply or without invoice has been declared one of the offences u/s 132 for prosecution.

h. In certain supplies as may be notified, requirement to issue tax invoice may be done away with.

i. In Schedule II for classification between supply of goods and services,

WIRC

the portion which allowed transfer of business assets 'even without consideration' to be a supply has been omitted. This is because without availing input tax credit, transfer of business assets cannot be classified as a supply under Schedule I.

This publication contains information for general guidance only. It is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although the best of endeavour has been made to provide the provisions in a simpler and accurate form, there is no substitute to detailed research with regard to the specific situation of a particular individual or entity. S. Khaitan & Associates or any of its officials do not accept any responsibility for loss incurred by any person for acting or refraining to act as a result of any matter in this publication.

Government extends deadline for completing GST anti-profiteering probe till March 2021

The government has extended the deadline till March 31, 2021 for completing GST anti-profiteering investigations, which were to be completed by November this year.

Through a notification, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) extended the deadline for completion of such investigations by authorities, like DGAP, under section 171 of GST Act, till March 31, 2021.

In September, CBIC had extended the deadline till November 30, 2020. Section 171 of GST Act deals with anti-profiteering measures.

Under the GST law, a National Anti-Profiteering Authority (NAA) and a Standing Committee on anti-profiteering have been set up to examine complaints of not passing on tax rate cut benefits to consumers.

GST was rolled out on July 1, 2017. Directorate General of Anti Profiteering (DGAP) investigates profiteering complaints and submits report to NAA, which passes the final order.

DGAP is mandated to complete the investigation within a period of six months of the receipt of the reference from the Standing Committee, which can be further extended by three months.

The GST rules also specify that NAA shall, within a period of six months from the date of the receipt of the report from DGAP, determine whether a registered person has passed on the benefit of GST rate cut or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

EY Tax Partner Abhishek Jain said the government has further extended timeline for anti-profiteering authorities to complete their investigations, and as such any investigation required to be closed by DGAP by November 30, 2020 can now be completed up to March 31, 2021.

"This extension, much like the previous one, seems to be on account of the limitations posed (inability for businesses to provide requisite data) to the revenue authorities on account of the ongoing pandemic, as well as the quantum of pending cases," he said.

MSMEs likely to create five crore new jobs in next five years: Gadkari

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are likely to create five crore new jobs in the next five years, minister for MSMEs Nitin Gadkari said on Tuesday. “Until now, we (MSMEs) have created 11 crore jobs and we are now planning to create five crore new jobs in the next five years,” Gadkari said at a CII event.

The minister said he envisions the MSME sector to contribute 40% to the country’s gross domestic product (GDP) from around 30%; at the same time, the sector’s contribution to the country’s export to go up to 60% from 48% now.
Gadkari said while the Covid-19 pandemic has adversely affected the sector, government extended support to the sector with various policy changes that should enhance their risk-taking abilities, leading to increase in investment.

Gadkari, who is also the minister for road transport and highways, said the government was targeting Rs 25 lakh crore investment in the road development sector, but he did not give any timeline.

He said toll income on the national highways, despite disruptions, might go up to Rs 34,000 crore in the current fiscal from Rs 24,000 crore in the last fiscal. Toll income might go up to Rs 1 lakh crore a year in five years.

GSTN launches taxpayer communication facility on portal

"The new functionality will provide communication platform for taxpayers wherein a recipient/purchaser can ask his supplier/s to upload any particular invoice/s that has not been uploaded but is required by the recipient to avail input tax credit (ITC)," GST Network (GSTN) said in a statement.

The GST Network on Monday said it has launched the “communication between taxpayer” feature on its portal.

“The new functionality will provide communication platform for taxpayers wherein a recipient/purchaser can ask his supplier/s to upload any particular invoice/s that has not been uploaded but is required by the recipient to avail input tax credit (ITC),” GST Network (GSTN) said in a statement.

Now, businesses can communicate with their supplier on GSTN portal about invoice uploading or any deficiency therein.

Besides, the supplier can send reply to his recipient through the same facility.

Similarly, supplier can also send notification to his recipient about any document uploaded in outward supply statement filed in Form GSTR-1.

GSTN said that whenever a communication is sent by a taxpayer to his counterpart, intimation by GSTN would also be sent to such counterpart through email and SMS on mobile phone.

This facility is expected to help taxpayers in reconciliation of invoices, it added.

WIRC

“A buyer whose supplier has not uploaded his invoice can use this communication channel to clearly convey his desire to the supplier that the invoices be uploaded forthwith as he is interested in remaining compliant and expects his suppliers to report all invoices on which he is availing ITC,” GSTN added.
GSTN is also planning more features in this tool such as facility to import invoices from communication facility to GSTR 1, it said.

Government extends deadline for use of FASTag till February 15

The road transport ministry has extended the deadline for 100% collection of toll charges on the National Highway (NH) network through FASTag till February 15. Earlier, the National Highways Authority of India (NHAI) had announced to completely do away with cash transactions for paying toll charges from January 1. Currently, the share of transactions by FASTag is hovering around 75-80%. In a communication to NHAI, the ministry has said the highways authority can obtain the needed regulatory requirement from it for ensuring 100% cashless fee collection from February 15. In order to discourage cash transactions at toll plazas, all lanes barring one on each side have been made dedicated "FASTag lanes" and any vehicle entering these lanes without FASTag are liable to pay double the normal toll fee.

“Cash is a legal mode of transaction and none can be denied from paying in cash. Hence, the best option would be strict enforcement of the Motor Vehicle Rule, which has made valid FASTag mandatory,” said an official.

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

"कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना"

विषय- एल० एम० वी०-2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल० एम० वी०-4 बी (निजी संस्थान) एवं एल० एम० वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की 100 प्रतिशत छूट हेतु "कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू की गई इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के समस्त एल० एम० वी०-2 (वाणिज्यिक), एल० एम० वी०-4 बी (निजी संस्थान) एवं एल० एम० वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 30-11-2020 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 छूट दी जायेगी।

1. योजना में पंजीकरण की अवधि :-

यह योजना दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2020 तक लागू रहेगी। बकायेदार उपभोक्ता इस अवधि में अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

2. पंजीकरण:-

उपभोक्ता को योजना में पंजीकरण सम्बंधित अधि०अभी०। एस०डी०ओ० कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रो में सी०एस०सी० केन्द्रो पर ऑनलाइन कराना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वंय भी योजना में पंजीकरण उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.upenergy.in पर करा सकेगा।

3. योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया :-

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का योजन के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिन धनराशि, सरचार्ज में छूट,

WUPCCL

भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नंबर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जायेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह नवंबर 2020 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल राशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 30-11-2020 के उपरान्त के वर्तमान देयों साथ जमा करना होगा जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बंधित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करे, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस०एम०एस० के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। किसी भी स्थिति में मेन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन-ओ०टी०एस० मद में ही लिए जायेंगे।

4. अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :-

इस योजना के अन्तगर्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4 बी (निजी संस्थान) एवं एल० एम० वी०-6 (औद्योगिक) दर श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 30-11-2020 तक के बकाये पर लगे अधिभार को छोड़ते हुए भुगतान करने की तिथि तक की सम्पूर्ण देय धनराशि (अर्थात 30-11-2020 तक का मूल बकाया + 30-11-2020 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित मासिक बिल + 30-11-2020 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार, पंजीकरण के समय प्राप्त कर ली गई राशि को छोड़ते हुए) का भुगतान विलंबतम दिनांक 28-02-2021 तक अवश्य जमा करना होगा। उपभोक्ता उक्त भुगतान निर्धारित अवधि के अंतर्गत अपनी सुविधा अनुसार किश्तों में अथवा एक मुश्त भी जमा कर सकता है। किश्तों में भुगतान की सुविधा सी०एस०सी० पर उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30-11-2020 तक के बकाये पर लगा अधिभार शत-प्रतिशत समाप्त कर दिया जाएगा। अन्यथा पंजीकरण स्वतः ही रद्द हो जाएगा तथा पंजीकरण के समय जमा धनराशि में से रु० 2000/- अथवा वास्तविक जमा राशि, जो भी न्यूनतम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुए उसके बिल में पुनः ब्याज का निर्धारण कर दिया जायेगा।

WUPCCI

5. बिल संशोधन की प्रक्रिया :-

कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का कोई अधिकारी /कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने है उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।

6. इस योजना के अंतर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उ०प्र० शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।

7. इस योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं पर पंजीकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी, वरन ऐसे उपभोक्ताओं के पी० डी० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण नियम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त अथवा किश्तों में (पार्ट पेमेंट द्वारा) कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी०डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

8. इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेबिट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अंतर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित करके उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बीजक में अंकित ब्याज की राशि माफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।

9. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी जिससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे।

WUPCL

10. उपरोक्त योजना में माफ़ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE (Return on Equity) की धनराशि से किया जायेगा।

11. अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों के बिल रिवीज़न की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)। मुख्य अभियन्ता (वितरण)। डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

12. उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंपो का आयोजन किया जायेगा।

आत्मनिर्भर रोजगार योजना को मंजूरी, देश में 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा

कर्मचारी-नियोक्ताओं को राहत

कोरोना संकट के बीच देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी।

इसके तहत सरकार नई नौकरी पाने वाले और नई नौकरी देने वाले, दोनों को पीएफ पर सरकार 12-12 फीसदी की सब्सिडी देगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रूपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22810 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस स्किम से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना में सरकार 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। ये सुविधा उन्ही संस्थानों को मिल पाएगी जहा 1000 तक कर्मचारी है। जिनमे 1000 से अधिक कर्मचारी है वहां केवल 12% योगदान देगी।

इस तरह दिया जाएगा लाभ

सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रक्रिया भी अपनाई जायेगी।

कंपनियों के लिए यह शर्त

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नए कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी है, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होगी।

किस कर्मचारी को फायदा

इस योजना के तहत ईपीएफओ में रजिस्टर संस्थान में नियुक्त होने वाला हर वह नया कर्मचारी कवर होगा, जिसका मासिक वेतन 15000 रूपये से काम है। इसमें 15000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे ईपीएफओ मेंबर भी शामिल होंगे, जिनकी कोरोना में नौकरी छूट गयी गई थी।

WUPCCI

किसी भी स्थिति में नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी भी स्थिति में कर्मचारी की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट की डिक्री या अन्य किसी प्रकार से कर्मचारी की देनदारी साबित होने पर भी उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ग्रेच्युटी को सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने कंपनी का अकाउंट एनपीए होने पर गारंटर बने बैंककर्मी की ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने को अवैधानिक करार देते हुए

बैंक को 15 दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर एवं न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बैंक कर्मचारी भूदेव त्रिवेदी की याचिका पर दिया है।

याची जय गोपाल इंटरप्राइजेज का गारंटर था। कंपनी का खाता एनपीए हो गया तो बैंक ने याची के रिटायर होने पर उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर रोक लिया कि गारंटर की भी जिम्मेदारी बनती है। पीठ ने याचिका खारिज कर दी तो इस आदेश को इस विशेष अपील में चुनौती दी गई। खंडपीठ ने कहा याची की सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके आधार पर ग्रेच्युटी रोकी जा सके।

बुलंदशहर और खुर्जा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा यूपीसीडा

कोलकाता-अमृतसर डेडिकेटेड ईस्टर्न रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के किनारे बने औद्योगिक क्षेत्र और विकसित किये जाएंगे। सूबे की सीमा में बुलंदशहर और खुर्जा में उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा जहां निवेश की अपार संभावनाओं का आकलन किया गया है।

कॉरिडोर के किनारे के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र सरकार धन मुहैया कराएगी। यूपीसीडा ने एक तरफ फतेहपुर के मलवा और प्रयागराज के नैनी में विकास का प्रस्ताव भेजा है तो दूसरी तरफ कानपुर के चकेरी, रुमा और मंधना के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। बुलंदशहर और खुर्जा में ऐसे उत्पादों का सेक्टर विकसित होगा जिसकी देश भर में डिमांड हो। इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। चकेरी और रूमा में पहले से औद्योगिक क्षेत्र है जबकि मंधना में लगभग 900 एकड़ मेऔद्योगिक क्षेत्र समेत इंटीग्रेटेड सिटी का विकसित किया जाना बाकी है। भाऊपुर में नया लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी पहले से चल रही है जो कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर स्टेशन के पास की जमीन पर प्रस्तावित है।

यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी की मंशा है कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के पास ऐसे पार्क विकसित किये जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बेहतर रहे।

सजा होने पर ही रोकी जा सकती है पेंशन और ग्रेच्युटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को आपराधिक मामले में सजा हो जाती है तभी उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ रोके जा सकते है। सेवानिवृत्ति के दिन सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने या मुकदमा लंबित होने पर कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। सजा पाने पर ही सरकार को सिविल सर्विस रेग्यूलेशन 351 के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने या वापस लेने या वसूली करने का अधिकार है।

महाराजगंज में पुलिस उप निरीक्षक पद से सेवानिवृत याची के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। जो विचारधीन थी। एसपी महाराजगंज द्वारा याची की पेंशन, ग्रेच्युटी रोक दी गई। जिसे कोर्ट ने गलत माना है। कोर्ट ने याची को दो माह के भीतर पेंशन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि भुगतान में देरी की गई तो 12 फीसदी ब्याज देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मोहम्मद मजहर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने एसपी महाराजगंज की पेंशन ग्रेच्युटी रोकने के आदेश को रद्द कर दिया है।

यूपी में लकड़ी आधारित 1215 उद्योगों के लाइसेंस रद्द

लकड़ी उद्योगों को बड़े पैमाने पर अस्थायी लाइसेंस जारी करने के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने उस आदेश की समीक्षा करने से इनकार केर दिया है, जिसमे यूपी सरकार द्वारा 1215 लकड़ी आधारित उद्योगों को जारी प्रोविजनल लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि नए लाइसेंस जारी करने के लिए लकड़ी की उपलब्धता को लेकर सरकार का अनुमान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। पीठ ने कहा है

WUPCC

कि लकड़ी की खपत और उपलब्धता के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन रिपोर्ट में इसके किस्मो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनजीटी ने 18 फरवरी, 2020 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

एनजीटी ने गैर सरकारी संगठन 'उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट' की ओर से दाखिल याचिका पर 18 फरवरी 2020 को यूपी सरकार की ओर से लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए जारी प्रोविजनल लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पहले, सर्वोच्च न्यायालय भी गई, लेकिन बाद में याचिका वापस लेकर एनजीटी में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

80 हजार लोगो को रोजगार मिलने का किया था दावा

यूपी सरकार ने एनजीटी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा था कि नए लकड़ी आधारित उद्योगो को लगाने और इसके संचालन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में 80 हजार लोगो के लिए रोजगार मिलेगा।

632 उद्योग लग गए थे

सरकार ने एनजीटी को बताया था कि जिन 1215 उद्योगों को लाइसेंस जारी किये है उनमे से 632 संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। इन ओद्योगिक इकाइयों ने बैंक से कर्ज लेकर यह उद्योग शुरू किये है।

ज्यादा रिटर्न के लिए ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर केर सकते है फंड

अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते है तो कुछ तय शर्तो के साथ अपने ईपीएफ खाते को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में ट्रांसफर कर सकते है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इसकी अनुमति देता है।

दरअसल, एनपीएस लम्बी अवधि में रिटायरमेंट की योजना बना रहे लोगो के लिए लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। इक्विटी में निवेश के विकल्प की वजह से लम्बी अवधि में निवेशक ईपीएफ के मुकाबले एनपीएस के जरिये ज्यादा रिटर्न पा सकते है। एनपीएस ने पिछले 10 साल में ईपीएफ के मुकाबले 2 फीसदी ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर लगातार बाद रही महंगाई की दर को देखें तो एक समय के बाद किसी को भी रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे फंड की जरुरत होगी। ऐसे में लम्बी अवधि के निवेश के रूप में एनपीएस एक बेहतर साधन है। ख़ास बात है कि इस पर कर छूट का लाभ भी मिलता है।

1.5 लाख रूपये तक छूट का लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आप 1.5 लाख रूपये तक छूट का लाभ पा सकते है। दूसरी बात है कि एनपीएस अब 'ईईई' की श्रेणी में आ गया है। इसका मतलब है कि निवेश के पैसे, मिलने वाले ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनो पर कर नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा, आप धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50000 रूपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते है।

जारी होगा चेक या ड्राफ्ट

आवेदन के बाद ईपीएफओ आपके ईपीएफ खाते में शेष राशि के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद एनपीएस नोडल या पीओपी की ओर से ईपीएफओ एक चेक या ड्राफ्ट जारी करेगा। एक बार फंड जमा होने के बाद एनपीएस खाता अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको एनपीएस के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सत्यापन के लिए मेसेज आएगा। इसके बाद नोडल ऑफिस या पीओपी आपके टियर-1 खाते में पैसे अपडेट करेगा।

WUPCL

रक्त सम्बन्धो में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट

राज्य सरकार रक्त सम्बन्धो में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अभी दान पात्र पर विक्रय पत्र (बैनामा) की तरह ही स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

ऐसे में ड्यूटी बचने के लिए वसीयत की जाती है लेकिन वसीयतनामा, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। चूँकि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वसीयत का निबंधन होना जरुरी नहीं है इसलिए कई बार वसीयत विवादित हो जाती है और संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के बाद विवाद खड़े हो जाते है।

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में रक्त संबंधियों के बीच अचल संपत्तियों के दान विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। चूँकि आयकर में प्रथम श्रेणी रक्त संबंधो के बीच दान को करमुक्त रखा गया है इसलिए ऐसे मामलो में दान विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में भी छूट देने से प्रदेशवासियों को फायदा होगा। छूट देने पर विभाग द्वारा पहले भी विचार किया गया है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी।

नीलामी में खरीदी औद्योगिक संपत्ति पर दोहरे स्टाम्प शुल्क में छूट

औद्योगिक विकास के लिए नीतियों में लगातार बदलाव कर रही योगी सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए एक ओर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में नीलामी से खरीदी गई संपत्तियों पर अब विक्रय विलेख और पट्टा विलेख पर उद्यमियों को दोहरा शुल्क नहीं देना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दो बार शुल्क की व्यवस्था को खत्म करने का निर्देश दिया है।

बिना सरकारी अनुमति खरीदी जमीन नियमित करने के जुर्माने में बड़ी छूट

प्रदेश सरकार ने बिना अनुमति तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने वालो को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। ऐसी जमीन को विनियमित करने के लिए निर्धारित जुर्माने को 50 प्रतिशत से हटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रो में स्थित ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायतो के स्थान पर संबंधित प्राधिकरण करेंगे। इससे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अपने

प्रोजेक्ट के क्रियान्वन में आसानी होगी। सरकार इन व्यवस्थाओं के लिए यूपी राजस्व सहिंता संशोधन अध्यादेश लाने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने अध्यादेश मसौदे को मंजूरी दे दी है।

ऑनलाइन न दी उद्योगों को अनुमति तो दंडित होंगे अफसर

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार के लगातार जोर के बाद उद्यमियों को परेशान कर रहे अधिकारियों पर शासन ने नजरे टेढ़ी कर दी है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने विभागों को आदेश जारी कर दिए है कि सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन ही अनिवार्य है। प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन ही होगी। स्पष्ट कहा है कि यदि किसी अधिकारी ने उद्यमी को अनुमति आदि के संबंध में कार्यालय बुलाया तो दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी।

विभिन्न विभागो को जारी पत्र में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों से कहा है कि उद्यम या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने को उद्यमियों के आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाए। कड़ी विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाई की चेतावनी देते हुए निर्देश दिए है कि निवेश मित्र पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लिए उद्यमियों के आवेदनों की ऑफलाइन प्राप्ति पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अविलंब शासनादेश जारी करें। कहा है कि पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी ऐसी शिकायते मिली है कि कुछ विभाग ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार कर रहे है या फिर निवेश मित्र पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करने व व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आने के लिए विवश कर रहे है। यह अस्वीकार्य है और उप में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों या प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए है कि वह तीन महीने की स्टेब्लाइजेशन (स्थिरीकरण) अवधि में छूट के साथ ऑनलाइन की अनिवार्यता की बाबत शासनादेश जारी करें। उसके बाद यदि अधिकारियों ने उद्यमियों को अपने कार्यालय में किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी जमा करने या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आने के लिए कहा तो दंडात्मक विभागीय कार्यवाई की जाएगी।

WUPCCI

जर्मन कंपनी जांचेगी खेल उत्पाद

एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मेरठ में खेल उद्योग का क्लस्टर बनाकर विश्वस्तरीय एक्सपो मार्ट तथा टेस्टिंग लेबोरेट्री का निर्माण किया जाना है। इसकी डीपीआर पास हो गयी है। अब केवल एसपीवी के नाम में जमीन ट्रांसफर होने की कार्यवाई बाकी है। इसके साथ ही जनपद के खेल क्लस्टर के लिए 10 करोड़ रुपया जारी हो जाएगा। यहां स्थापित होने वाली लैब का संचालन जर्मनी की कंपनी टीयूवी-एसयूडी द्वारा अपनी फ्रेंचाइजी से कराया जाएगा।

प्रदेश अपर मुख्य सचिव उद्योग नवनीत सहगल ने ऑनलाइन बैठक के दौरान प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित होने वाले नए औद्योगिक क्लस्टरों की प्रगति की समीक्षा की। मेरठ के उप आयुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि मेरठ की खेल सामग्री पुरे विश्व में पसंद की जाती है। मेरठ से सालाना 600 करोड़ रूपये से ज्यादा निर्यात होता है। इस उद्योग की समस्याओं के समाधान, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से दिल्ली बाईपास पर स्पोर्टस गुड्स एंड इक्यूपमेंट क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसमें विश्वस्तरीय एक्सपो मार्ट के साथ रॉ मेटेरियल बैंक और ट्रेनिंग सेंटर होगा। उत्पाद को प्रमाणपत्र देने वाली लैब भी बनेगी।

WUPCCI

समस्याओं का होगा समाधान

खेल उद्योगों की अहम समस्या कच्चे माल की उपलब्धता है। प्रशिक्षण तथा उत्पादों की मार्केटिंग की भी यहां आवश्यकता है। इन तीनो समस्याओं के समाधान के साथ ही यहां स्थापित होने वाले विश्वस्तरीय एक्सपो मार्ट में हर समय उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। विदेशी खरीदारों को बायर-सेलर मीट में बुलाया जाएगा।

उद्योगों को ओपन एक्सेस से बिजली प्राप्त करने की अब ऑनलाइन सुविधा

मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमल करते हुए ऊर्जा विभाग ने अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) ओपन एक्सेस के जरिए बिजली प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे औद्योगिक इकाइयों को बिजली प्राप्त करने में आसानी होगी। उद्योग जगत लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहा था।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पैर ओपन एक्सेस विद्युत उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही उपलब्धता आधारित टैरिफ (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ-एबीटी) मीटर लगाने की अनुमति, निरीक्षण व स्थापना की स्वीकृति की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके लिए 'ऑनलाइन एबीटी पोर्टल' को यूपीपीटीसीएल को वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। एबीटी मीटर, खासतौर से ओपन एक्सेस के जरिए बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा अनुश्रवण बिलिंग बल्क इंटर यूटिलिटी पावर फ्लो की सुविधा देते है। अब शार्ट-टर्म ओपन एक्सेस विद्युत का लाभ उठाने के इच्छुक लोग तय आवेदन प्रारूप (एसटी-11) पर पंजीकरण कर ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते है। इसके लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) के वेबपोर्टल पर जाना होगा।

WUPCCL

ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी बिजली, तय समय पर सेवाएं

सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बारे में विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम जारी किए गए है। बिजली की दर तय करने के

तरीके को ज्यादा पारदर्शी बनाने की भी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को बिजली ग्राहकों के अधिकार में शामिल किया गया है।

इन नियमो का उल्लंघन होने पर बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्यवाई हो सकती है। इन नियमो के बारे में बिजली मंत्री आर के सिंह ने बताया कि देश की बिजली वितरण कंपनिया अब सेवा प्रदाता कंपनी है। बिजली ग्राहकों को दूसरे सेवा क्षेत्रो की तरह ही सारे अधिकार मिलेंगे। इन नियमो के जरिये हम आम जनता का सशक्तीकरण कर रहे है। केंद्र सरकार का अगला कदम इन नियमों के बारे में पूरे देश में प्रचार करना होगा। अगर डिस्काम जान-बूझकर इन नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई होगी।

ग्राहकों के आवेदन करने से सात दिनों के भीतर महानगरों में, 15 दिनों के भीतर निकायों में और 30 दिनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देना होगा। बिजली नियामक आयोग सुनिश्चित करेगा कि किसी ख़ास परिस्थिति में बिजली आपूर्ति की अवधि घटाई जा सकती है या नहीं।

शासनादेशों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य

प्रदेश सर्कार ने समस्त शासनादेशों को 'शासनादेश पोर्टल' पर ऑनलाइन अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शासन ने वर्ष 2013 व उसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेश में तय किया है कि कोई भी शासनादेश तभी वैध माना जाएगा जब वह शासनादेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। इधर शासन स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के बाद शासनादेशों को ऑनलाइन जारी करने व अपलोड करने की कार्यवाही ठीक से नहीं की जा रही है। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव ने ई-ऑफिस प्रणाली से शासनादेश पोर्टल पर शासनादेश अपलोड करने की प्रक्रिया तय कर दी है। उन्होंने समस्त शासनादेशों को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने का निसदेश दिया है।

XXXXXXXXXXXXXXX

WUPCL

WUPCCI